

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत  
पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु. नं. 09 सन् 2018

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

तारीख हुकम

01.2019

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।


प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का खाखूसर ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक हदा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शरह लवायत तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 12 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	शरह लवायत	12	अन्नाराम पुत्र दीनाराम 2. 438333 है. तेजाराम पुत्र उमाराम जाति मेघवाल सा. बालां का गोल 2.53 है. खातेदार बाकी मांदा बदस्तूर	अन्नाराम पुत्र दीनाराम 1463/17886 हि. तेजाराम पुत्र उमाराम जाति मेघवाल सा. बालां का गोल 1518/17886 हि. खातेदार बाकी मांदा बदस्तूर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्य जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत